बैठक में शामिल डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल व समिति के सदस्य।

इटावा, संवाददाता। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला विद्यालय वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की दूसरी बैठक हुई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्कूली वाहनों का संचालन सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। डीएम निर्देश दिए कि सभी स्कूल वाहनों की फिटनेस अनिवार्य रूप से कराई जाए तथा जिन वाहनों का परमिट समाप्त हो चुका है अथवा बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं, उनका तत्काल परमिट नवीनीकरण कराया जाए।

बिना फिटनेस एवं बिना वैध परमिट वाले वाहनों का संचालन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को केवल मानक के अनुरूप सुरक्षित एवं अनुमोदित स्कूल वाहनों से ही विद्यालय भेजा जाए। असुरक्षित वाहनों में बच्चों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को जागरूक किया जाए तथा पीटीएम सहित अन्य माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सभी शिक्षण संस्थानों में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर उसकी नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए, जिससे परिवहन संबंधी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल वाहन में निर्धारित सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को न बैठाया जाए। प्रत्येक वाहन में एक फर्स्ट एड बॉक्स एवं 5 किलोग्राम क्षमता का बीआईएस मानक का अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे।

मुखर्जी की जयंती पर भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने कार्यालय पर पदाधिकारियों संग चित्र पर पुष्पांजलि की।

भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, अदम्य साहस और अखंड भारत के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। राष्ट्र की एकता और

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते

स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, 6 जुलाई 1901 को जन्मे डॉ. मुखर्जी असाधारण प्रतिभा के

बिजली विभाग ने 14049 का बढ़ाया लोड, मैसेज भेजा

इटावा, संवाददाता। स्वीकृत भार से अधिक बिजली का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया जा रहा है। नियामक आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई एक जुलाई से शुरू कर दी गई है।इसमें इटावा में शहरी क्षेत्र में 14049 का लोड बढ़ाया है क्योंकि वे अधिक लोड का प्रयोग कर रहे थे।यह लोड नई व्यवस्था के तहत बढ़ाया गया है।

इस संबंध में अधिशासी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्र ने कहा है कि पहले यह व्यवस्था थी कि यदि कोई उपभोक्ता अधिक लोड का प्रयोग कर रहा है तो उसको नोटिस देने के बाद प्रयोग किए जाने वाले लोड के आधार पर उसका लोड बढ़ाया जाता था। अब नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता अधिक लोड का प्रयोग कर रहा है तो उसने तीन बार जो बड़े हुए लोड का प्रयोग किया है उसमें सबसे कम लोड कितना है उस आधार पर उसका लोड बढ़ा दिया जाएगा।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालयः न्यू मण्डी फर्रूखाबाद रोड, इटावा

ई–नीलामी बिक्री सूचना

[नियम 8(6)] अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत के अधीन अचल परिसंपत्ति के बिक्री की ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सामान्य और आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को नोटिस दी जाती है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति प्रत्याभूत लेनदार को बंधक/प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जिसकी बिक्री "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" तथा "जो भी वहां है" तथा बिना **किसी दायित्व** के आधार पर की जाएगी। संबंधित संपत्ति के विवरण के समक्ष आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी प्रदर्शित है। ई–नीलामी बैंक द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता ई–नीलामी एजेंसी की वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया वेबसाईट– **https://baanknet.com** को देखें।

ई–नीलामी की तिथि व समय : 24.07.2026, प्रातः 10:00 से सायं 04:00 बजे तक (5 मिनट के असीमित समय सहित)
बिड जमा करने की अन्तिम तिथि व समय : 23.07.2026, अपराह्न 04:00 बजे तक

ऋणी, बंधककर्ता और जमानतकर्ता का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि/ बिड मूल्य
शाखा– फर्रूखाबाद शाखा, मो.नं. 8303713669				
ऋणीः मैसर्स अशरा एम्ब्रोड्री, प्रोपराइटर श्री जीसानुदीन पुत्र कमरूदीन (ऋणी) एवं श्री जीसानुदीन पुत्र कमरुदीन, पता– मकान सं. 150, वार्ड सं. 19, खैराती खान, जिला– फर्रूखाबाद–209625	आवासीय संपति के सभी भाग व खण्ड का साम्यिक बंधक, **मालिकः** श्री जीशानउदीन पुत्र कमरुदीन स्थित मोहल्ला–गढ़ी अब्दुल मजीद खान, बड़ी वाली मस्जिद के पास, नाला मच्छरट्टा रोड, परगना–पहाड़ा, तहसील–फर्रूखाबाद सदर, जिला–फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश, **कुल क्षेत्रफल– 58.97 वर्ग मीटर, चौहद्दीः पूर्व**– रास्ता 3.04 मीटर, **पश्चिम**– श्रीमती रफीकन बेगम का शेष भाग, **उत्तर**– गली 2.5 मीटर चौड़ी, **दक्षिण**– श्री मुंशी कादिर का मकान	रू. 7,76,080.06 + उसपर बाद को लागू ब्याज तथा व्यय	24.07.2026 प्रातः 10:00 से सायं 4:00 तक	रु. 9.91 लाख (आरक्षित मूल्य) रु. 1.00 लाख (अग्रिम राशि) रु. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।
2. उपर्युक्त संपत्ति को ऊपर बताए गए आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
3. बोलीदाताओं को वेबसाइट **https://baanknet.com** पर पंजीकृत होना होगा और केवाईसी दस्तावेज सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अपलोड करने होंगे। धरोहर राशि एनईएफटी के माध्यम से ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में **दिनांक 23.07.2026 सायं 04:00 बजे तक** जमा की जाएगी। (**https://baanknet.com** से चालान जनरेट होने के बाद)
4. अधिक जानकारी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी, **मोबाइल नं0– 7390932121** से संपर्क करें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।
5. सफल बोलीदाता को सुरक्षित संपत्ति के पंजीकरण/हस्तांतरण के लिए स्टांप शुल्क, पंजीकरण, कर देयता आदि जैसे सभी आवश्यक खर्च वहन करने होंगे।
6. नियम और शर्तें पूरी तरह से SARFAESI अधिनियम, नियम 2002 एवं बैंक की पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार होंगी।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

दिनांक : 07.07.2026 | **स्थान : इटावा** | **प्राधिकृत अधिकारी : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**